

कार्यालय मुख्य कार्यपालक अधिकारी
भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा- भदोही
अति अल्प कालीन निविदा सूचना

पत्रांक: 9059


दि 24-8-24

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिलाधिकारी महोदय के कैम्प कार्यालय पर लगे फौव्वारा के मरम्मत/ रिनोवेशन के कार्य का निविदा बीडा (प्राधिकरण) में पंजीकृत / सरकारी/ अर्द्ध सकारी/ स्वशासी संस्थाओं में पंजीकृत अर्ह ठेकेदारों से मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र इस कार्यालय में दिनांक 02.09.2024 को अपरान्ह 2.00 बजे तक अपेक्षित मूल्य जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा दिनांक 03.09.2024 को अपरान्ह 2.30 बजे से 3.30 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा प्राप्त निविदा उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष समिति द्वारा खोली जायेगी ।

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (जी०एस०टी० सहित)	धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र मूल्य + जी०एस०टी०	कार्य करने की अवधि
1	जिलाधिकारी महोदय के कैम्प कार्यालय पर लगे फौव्वारा के मरम्मत/ रिनोवेशन का कार्य	823734.00	82374.00	1500.00 + 270.00 G.S.T	01 माह

शर्त :-

- जमानत धनराशि का भुगतान अन्तिम भुगतान की तिथि से एक वर्ष की अवधि के उपरान्त ही किया जायेगा तथा उक्त एक वर्ष की अवधि में समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।
- स्टैम्प अधिनियम के अन्तर्गत अनुबन्ध करते समय नियमानुसार स्टाम्प पेपर भदोही से क्रय कर देना होगा। जिसकी सही होने की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी।
- निविदादाता को सम्बन्धित कार्य का अनुभव एवं पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा उक्त के अतिरिक्त टी-4 (चरित्र प्रमाण पत्र), टी-5 (हैसियत प्रमाण पत्र), टी-6 (शपथ पत्र) की छाया प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
- आवंटित कार्य हर हालत में निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा अन्यथा अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
- धरोहर धनराशि (चीफ इक्जीक्यूटीव आफिसर बीडा के फेवर में एफ०डी०आर०) प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ जमा होना अनिवार्य है। जिस निविदा की धरोहर धनराशि नहीं होगी उसको संज्ञान में नहीं लिया जायेगा ।
- प्रत्येक कार्य की कम से कम 3 वैध निविदा प्राप्त होने पर ही विचार किया जायेगा ।
- प्रत्येक सफल निविदादाता को कार्य शुरू करने के पूर्व तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त सहायक अभियन्ता/ अवर अभियन्ता की उपस्थिति में मौके की फोटोग्राफी कराकर कार्यालय में जमा करना होगा।
- मुख्य कार्यपालक अधिकारी को बिना कारण बताये किसी एक या सभी निविदाएं निरस्त करने का अधिकार होगा।


24-8-24
(आर०डी० भारती)

प्र० अधिशासी अभियन्ता

